कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 143/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 13/04/2026
थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

21 किलो 667 ग्राम गांजा के साथ 02 अंतरजनपदीय तस्कर गिरफ्तार, 03 लाख रुपये कीमत का मादक पदार्थ व 03 मोबाइल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कार्यवाही करते हुए 21 किलो 667 ग्राम गांजा कीमत लगभग 03 लाख रूपये के साथ 02 अंतरजनपदीय तस्कर गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 12.04.2026 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कादीपुर से चक्रपानपुर जाने वाले मार्ग पर तरछा पुलिया के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर तत्काल विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं हिकमत अमली से दौड़ाकर पकड़ लिया गया।

➡ पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः अंकित यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी कोड़रा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया तथा रजनीश यादव पुत्र नंदलाल यादव निवासी रूदवापुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से कुल 20 बंडलों का वजन 21 किलो 667 ग्राम बरामद किया गया , जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया गया। दोनों अभियुक्तों को समय 21:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण—

01. कुल 21 किलो 667 ग्राम गांजा (20 बंडल)
02. 03 एंड्रॉयड मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 86/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अंकित यादव पुत्र दिनेश यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कोड़रा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया
02. रजनीश यादव पुत्र नंदलाल यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी रूदवापुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 विनय कुमार, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

02. उ0नि0 बीरबल यादव, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

03. का0 ऋषि कुमार, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

04. का0 ओमप्रकाश यादव, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

05. का0 पवन सिंह ,थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

06. का0 सोनू गोड़, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 13/04/2026

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—

थाना निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें अभियुक्त द्वारा कई वर्षों से शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लगातार बातचीत करते हुए कई बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। बाद में विवाह के लिए कहने पर अभियुक्त द्वारा टालमटोल किया जाने लगा। दिनांक 07.02.2026 को नन्दनगर स्थित एक डिजिटल लाइब्रेरी पर बुलाकर अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा वादिनी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 26.03.2026 को मु0अ0सं0 74/2026 धारा 69, 351(3), 352, 115(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक 13.04.2026 को उ0नि0 राजेश राय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शशिनन्द प्रजापति पुत्र मंगल प्रजापति निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को नन्दनगर बाजार से समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार किया गया । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 74/2026 धारा 69, 351(3), 352, 115(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त—

शशिनन्द प्रजापति पुत्र मंगल प्रजापति निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 राजेश राय, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

02. का0 विक्रांत विश्वकर्मा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 13/04/2026
थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

जनभावनाओं व सामाजिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने तथा अवैध शस्त्र रखने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा व चापड़ बरामद

घटना का विवरण—

दिनांक 12.04.2026 को वादी गौतम प्रसाद निवासी ग्राम लाहीडीह, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 11.04.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे लाहीडीह बाजार स्थित एक चाय की दुकान के पास लगे बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के फोटो सहित दो झण्डों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुई। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2026 धारा 299 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 उमाशंकर यादव द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 12.04.2026 को एक अन्य वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त विपिन यादव को पूछताछ के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा व एक बड़ा चापड़ प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण—

आज दिनांक 13.04.2026 को उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराहीयान क्षेत्र में मौजूद थे कि वांछित अभियुक्त विपिन यादव को सदरपुर बरौली से कस्बा फूलपुर की ओर आने वाले तिराहे (ग्राम सदरपुर बरौली) के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए समय 10:10 बजे विधिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 135/2026 धारा 299 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 137/2026 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विपिन यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी ग्राम लाहीडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी—

01. 01 तमंचा .32 बोर
02. 01 चापड़

आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0 135/2026 धारा 299 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 137/2026 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 उमाशंकर यादव,थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
02. हे0का0 अवधेश यादव,थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
03. का0 आलोक सिंह,थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।